आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकण

महाकुंभ मेला हेतु मानक प्रचालन विधि

आश्रम/धर्मशाला

1. मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आश्रम, धर्मशाला (सरकारी और निजी) के संचालन के लिए कुंभ मेले के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों की निगरानी हेतु प्रबन्धन तंत्र विकसित किया गया हो जिसके उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005, महामारी रोग अधिनियम–1897 और आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

2. आश्रम/धर्मशाला में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था आश्रम/धर्मशाला के प्रबंधकों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा आने वाले प्रत्येक व्यक्ति/यात्री को महाकुंभ मेला, 2021 के वैब पोर्टल पर पंजीकृत यात्रियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। यदि कोई यात्री बिना पंजीकरण कराये राज्य में प्रवेश करता है, तो उसकी सूचना मेला प्रशासन एवं जिला प्रशासन को दिए जाने की जिम्मेदारी संबंधित प्रबंधक की होगी।

3. आश्रम/धर्मशाला में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हरिद्वार आगमन की तिथि से 72 घण्टे पूर्व तक की आर0टी0पी0सी0आर0 की कोविड–19 निगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य होगा।

4. प्रत्येक आश्रम/धर्मशाला के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं सैनेटाईजर की पर्याप्त व्यवस्था की जाय और सभी के द्वारा उसका अक्षरशः अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

5. कोविड–19 की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आश्रम/धर्मशाला प्रबंधन द्वारा किसी भी यात्री की बुकिंग नहीं की जाएगी और ना ही आश्रम/धर्मशाला में ठहराया जायेगा ।

6. एंट्री पास व हथेली के ऊपरी भाग पर अमिट स्याही के चेक्ड मार्क के बिना किसी भी यात्री को आश्रम/धर्मशाला में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

7. यदि थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान किसी भी व्यक्ति में कोविड–19 के लक्षण पाये जाते हैं तो उसको तत्काल आईसोलेट करते हुए, दूरभाष के माध्यम से मेला प्रशासन तथा कोविड कंट्रोल रूम को सूचित किया जायेगा।

8. आश्रम/धर्मशाला प्रबंधन द्वारा सभी श्रद्धालुओं / पर्यटकों को स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

9. कुम्भ मेला के दौरान आने वाले यात्रियों द्वारा मास्क का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा और यदि कोई इसमें सहयोग नहीं करता है तो इसकी सूचना संबंधित पुलिस स्टेशन को तत्काल दी जानी होगी।

10. आश्रम/धर्मशाला परिसर को समय–समय पर सैनेटाईजेशन करना होगा।

11. प्रत्येक आश्रम/धर्मशाला के स्वागत कक्ष पर मेला कन्ट्रोल रूम, मेला जोनल–सेक्टर मजिस्ट्रेट, थाना, अस्पताल, एम्बुलेंस का दूरभाष नम्बर अंकित किया जायेगा।

12. अन्य राज्यों से आने वाले तीर्थयात्री आश्रम/धर्मशाला में प्रवेश के समय (बोर्डिंग के दौरान) अपने मूल राज्य, जिला/तहसील एवं स्वास्थ्य केंद्र द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत कोरोना फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

13. आश्रम/धर्मशाला प्रबंधन द्वारा कुंभ मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों का सम्पूर्ण विवरण तथा उनकी कोविड–19 निगेटिव रिपोर्ट मेला प्रशासन, मेला जोनल–सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करानी होगी।

14. आश्रम/धर्मशाला प्रबंधन द्वारा प्रवेश एवं निवास के दौरान संदिग्ध पाये गये कोविड रोगियों के परिवहन के लिए मेला स्वास्थ्य दल के सहयोग से एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी ।

15. आश्रम/धर्मशाला में विभिन्न स्थानों एवं प्रत्येक कमरे में कोविड–19 की रोकथाम हेतु आवश्यक जानकारियाँ/गाइडलाइन्स, कण्ट्रोल रूम व नजदीकी कोविड उपचार केंद्र के दूरभाष नंबर प्रदर्शित किये जायेंगे ।

16. यदि संवेदनशील व्यक्ति (65 वर्ष से अधिक आयु, गर्भवती महिलाएं व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे) कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आ रहे हैं, तो आश्रम/धर्मशाला प्रबंधन द्वारा ऐसे व्यक्तियों को परिसर से बाहर जाने, पवित्र स्नान करने तथा अन्य पर्यटन स्थलों पर जाने से हतोत्साहित किया जाएगा।

17. कुम्भ मेले के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी स्थान पर संगठित रूप से भजन, गायन एवं भण्डारे के आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

18. आश्रम/ धर्मशाला परिसर में श्रद्धालुओं / पर्यटकों के कोविड –19 परीक्षण के दौरान आश्रम/ धर्मशाला प्रबंधकों द्वारा श्रद्धालुओं / पर्यटकों तथा चिकित्सा दल को आवश्यक सुविधाएं व सहायता प्रदान की जाएगी।

19. कुंभ मेले के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई मानक प्रचालन कार्यविधियों (एस0ओ0पी0) का समस्त तीर्थयात्रियों तथा अन्य हितधारकों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

20. मेला प्रशासन द्वारा उपरोक्त मानक प्रचालन कार्यविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एस0ओ0पी में मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से अन्य व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।

***

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकण

महाकुंभ मेला हेतु मानक प्रचालन विधि

होटल/अतिथि गृह/रेस्टोरेन्ट

1. मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कुंभ मेले में होटल/रेस्टोरेन्ट/अतिथि गृह (सरकारी और निजी) के संचालन के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों की निगरानी हेतु प्रबन्धन तंत्र विकसित किया गया हो जिसके उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005, महामारी रोग अधिनियम–1897 और आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

2. प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होटल/रेस्टोरेन्ट/अतिथि गृह के प्रबंधकों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा महाकुंभ मेला–2021 पोर्टल पर पंजीकृत यात्रियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यदि कोई यात्री बिना पंजीकरण कराये राज्य में प्रवेश करता है, तो उसकी सूचना मेला प्रशासन एवं जिला प्रशासन को उपलब्ध कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित प्रबंधक की होगी।

3. होटल/अतिथि गृह में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हरिद्वार आगमन की तिथि से 72 घण्टे पूर्व तक की आर0टी0पी0सी0आर0 की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य होगा।

4. होटल/रेस्टोरेण्ट/अतिथि गृह में आने वाले प्रत्येक कार्मिक एवं अतिथि द्वारा सदैव फेस कवर/मास्क का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। होटल के अन्दर फेस कवर/मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

5. यदि थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान किसी भी व्यक्ति में कोविड–19 के लक्षण पाये जाते हैं तो होटल/रेस्टोरेण्ट/अतिथि गृह प्रबंधन द्वारा उसे तत्काल आईसोलेट करते हुए स्वयंसेवकों अथवा दूरभाष के माध्यम से मेला प्रशासन को सूचित किया जायेगा।

6. होटल/रेस्टोरेण्ट/अतिथि गृह प्रबंधन द्वारा सभी श्रद्धालुओं/पर्यटकों को स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

7. कुम्भ मेला के दौरान आने वाले यात्रियों को मास्क का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा और यदि कोई इसमें सहयोग नहीं करता है तो इसकी सूचना संबंधित पुलिस स्टेशन को तत्काल दी जानी होगी।

8. प्रत्येक होटल/अतिथि गृह/रेस्टोरेण्ट के प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप से सभी के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

9. प्रत्येक ठहरने वाले यात्रियों के कक्षों में कोविड–19 संक्रमण से बचाव के दृष्टित प्रचार–प्रसार सामग्री को सुलभ व आसानी से नजर पड़ने वाले स्थानों पर चस्पा किया जाय।

10. प्रत्येक कक्ष में कोविड–19 से संबंधित गाइडलाइन व दूरभाष पंजिका को प्रदर्शित किया जायेगा।

11. प्रत्येक होटल/अतिथि गृह/रेस्टोरेण्ट के स्वागत कक्ष पर जनपद के कन्ट्रोल रूम, जोनल–सेक्टर मजिस्ट्रेट, थाना, अस्पताल, एम्बुलेंस के दूरभाष नम्बर अंकित किये जायेंगे।

12. अतिथियों का विवरण (यात्रा इतिहास, चिकित्सा स्थिति आदि) के साथ–साथ पहचान–पत्र और स्वघोषणा–पत्र अतिथि को स्वागत कक्ष में जमा करना होगा एवं प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित दस्तावेज संभाल कर रखे जायेंगे।

13. यदि होटल, रेस्टोरेन्ट व अतिथि गृह में आने वाले किसी यात्री में कोविड–19 के लक्षण दिखाई देते हैं तो प्रबन्धन द्वारा मेला स्वास्थ्य कार्मिकों के माध्यम से तत्काल प्रभावित यात्री को उपचार हेतु कोविड उपचार केंद्र में भेजा जायेगा ।

14. होटल/अतिथि गृह के प्रबंधन द्वारा निवास के दौरान संदिग्ध कोविड रोगियों के परिवहन के लिए मेला स्वास्थ्य दल के सहयोग से एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी।

15. होटल/अतिथि गृह में विभिन्न स्थानों व प्रत्येक कमरे में कोविड–19 की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारियां, गाइडलाइन्स, कण्ट्रोल रूम नंबर्स तथा नजदीकी कोविड उपचार केंद्र के नंबर भी प्रदर्शित किये जायेंगे।

16. कुम्भ मेले के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी स्थान पर संगठित रूप से भजन, गायन एवं भण्डारे के आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

17. होटल/अतिथि गृह/रेस्टोरेण्ट में श्रद्धालुओं/पर्यटकों के कोविड –19 परीक्षण के दौरान होटल/अतिथि गृह/रेस्टोरेण्ट प्रबंधकों द्वारा श्रद्धालुओं/पर्यटकों तथा चिकित्सा दल को आवश्यक सुविधाएं व सहायता प्रदान की जाएगी।

18. कुंभ मेले के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एस0ओ0पी0 का समस्त तीर्थयात्रियों तथा अन्य हितधारकों द्वारा सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।

19. उक्त के अतिरिक्त, होटल/रेस्टोरेन्ट/अतिथि गृह प्रबन्धन द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा जारी की गयी एस0ओ0पी0 का भी कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

20. मेला प्रशासन द्वारा उपरोक्त मानक प्रचालन कार्यविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एस0ओ0पी में मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से अन्य व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।

***

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

महाकुंभ मेला हेतु मानक प्रचालन विधि

दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान

1. मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दुकानों, व्यवसाय संगठनों (सरकारी और निजी) के संचालन के लिए कुंभ मेले के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों की निगरानी हेतु प्रबन्धन तंत्र विकसित किया गया हो जिसके उल्लंघन की स्थिति में द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005, महामारी रोग अधिनियम–1897 और आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

2. दुकानों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में प्रवेश करने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी।

3. प्रत्येक आने वाले यात्रियों के सैनेटाईजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी और उसका अक्षरसः अनुपालन भी किया जायेगा।

4. दुकानों/व्यवसायिक संगठनों में विभिन्न स्थानों पर कोविड–19 की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारियां, गाइडलाइन्स, कण्ट्रोल रूम नंबर्स तथा नजदीकी कोविड उपचार केंद्र के नंबर प्रदर्शित किये जायेंगे।

5. दुकानों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह स्वयं मास्क का प्रयोग करेंगे और प्रतिष्ठान पर आने वाले यात्रियों से भी मास्क का उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6. दुकानों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधन द्वारा सभी श्रद्धालुओं/पर्यटकों/ग्राहकों के स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

7. निश्चित समयान्तराल पर पूरे परिसर को सैनेटाइज करते रहेंगे तथा परिसर में कोविड–19 संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत प्रचार–प्रसार सामग्री भी चस्पा करेंगे। स्वागत कक्ष पर कन्ट्रोल रूम नम्बर, जोनल व सैक्टर मजिस्ट्रेटों के नम्बर चस्पा किया जायेगा।

8. कुंभ मेले के दौरान अनावश्यक भीड़–भाड़ से बचाव एवं सामाजिक दूरी के अनुपालन हेतु स्नान की अधिसूचित तिथियों के दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं

की दुकानें जैसे – भोजन, डेयरी, दवा, पूजन सामग्री व कंबल आदि की दुकानें ही खुली रहेंगी।

9. दुकानों/व्यवसायिक संगठनों के स्वामी/प्रबंधन द्वारा संदिग्ध कोविड रोगियों के परिवहन के लिए मेला स्वास्थ्य दल के सहयोग से एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी।

10. कुम्भ मेले के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी स्थान पर संगठित रूप से भजन, गायन एवं भण्डारे के आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

11. कुंभ मेले के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एस0ओ0पी0 का समस्त तीर्थयात्रियों तथा अन्य हितधारकों द्वारा सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।

12. मेला प्रशासन द्वारा उपरोक्त मानक प्रचालन कार्यविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एस0ओ0पी में मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से अन्य व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।

***

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकण

महाकुंभ मेला हेतु मानक प्रचालन विधि

धार्मिक स्थल

1. मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि धार्मिक स्थलों में कुंभ मेले के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों की निगरानी हेतु प्रबन्धन तंत्र विकसित किया गया हो जिसके उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005, महामारी रोग अधिनियम–1897 और आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

2. प्रत्येक धार्मिक स्थल यथा मंदिर आदि में श्रद्धालुओं के प्रवेश से पूर्व मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क आने वाले यात्रियों को मास्क के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति दी जायेगी।

3. मंदिरों में दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों/श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। कोविड–19 से संबंधित लक्षण पाये जाने पर तत्काल इसकी सूचना मेला प्रशासन को देनी होगी एवं मेला स्वास्थ्य दल/कार्मिकों के माध्यम से उन्हें कोविड उपचार केन्द्र स्थानान्तरित किया जायेगा।

4. मंदिरों में विभिन्न स्थानों पर कोविड–19 की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारियां, गाइडलाइन्स, कण्ट्रोल रूम नंबर्स तथा नजदीकी कोविड उपचार केंद्र के नंबर प्रदर्शित किये जायेंगे।

5. दर्शन के दौरान आवश्यक सामाजिक (02 गज की दूरी) का पालन करना आवश्यक होगा। उक्त का पालन कराये जाने का उत्तरदायित्व मंदिर प्रशासन का होगा।

6. निश्चित समयान्तराल पर पूरे परिसर को सैनेटाइज किया जायेगा तथा परिसर में कोविड–19 की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारियां, गाइडलाइन्स, कण्ट्रोल रूम नंबर्स तथा नजदीकी कोविड उपचार केंद्र के नंबर भी प्रदर्शित किये जायेंगे।

7. धार्मिक स्थल यथा मंदिर आदि के प्रबंधन द्वारा सभी श्रद्धालुओं/पर्यटकों /ग्राहकों के स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

8. कानून व्यवस्था हेतु मन्दिर प्रबन्धन/मेला प्रशासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी।

9. 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भीड़–भाड़ वाले स्थानों में जाने के लिये यथासम्भव हतोत्साहित किया जायेगा।

10. कुम्भ मेले के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी स्थान पर संगठित रूप से भजन, गायन एवं भण्डारे के आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

11. कुंभ मेले के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एस0ओ0पी0 का समस्त तीर्थयात्रियों तथा अन्य हितधारकों द्वारा सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।

12. मेला प्रशासन द्वारा उपरोक्त मानक प्रचालन कार्यविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एस0ओ0पी में मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से अन्य व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।

***

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकण

महाकुंभ मेला हेतु मानक प्रचालन विधि

सार्वजनिक परिवहन

1. मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कुंभ मेले में तीर्थयात्रियों से सम्बंधित सार्वजनिक परिवहन (सरकारी और निजी) के संचालन के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों की निगरानी हेतु प्रबन्धन तंत्र विकसित किया गया हो जिसके उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005, महामारी रोग अधिनियम–1897 और आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ।

2. बसों में टिकटों की बिक्री और खरीद के दौरान और टिकट काउंटरों के आस–पास सामाजिक दूरी का उचित स्तर बनाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। काउंटरों पर तैनात सभी कर्मचारी हर समय मास्क और दस्ताने का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3. टिकट काउंटर, बस स्टॉप, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, विक्रम स्टैंड आदि में सामाजिक दूरी के मानक प्रदर्शित करने व मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए फर्श स्टिकर और संकेत प्रदर्शित किए जायेंगे ।

4. आपातकालीन समय में प्रभावी और तत्काल प्रतिक्रिया हेतु सभी नियंत्रण कक्षों और नोडल अधिकारियों की सूची सभी बस स्टैंड और टिकट काउंटर पर उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. प्रयोग किये गए सभी दस्ताने और मास्क आदि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार निस्तारित किये जाएंगे तथा परिवहन संचालकों द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

6. यदि किसी भी यात्री में कोविड–19 के लक्षण प्रदर्शित होते हैं तो ड्राइवर या सहायक अपेक्षित चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र, स्थानीय पुलिस, नियंत्रण कक्ष को सूचित करेगा।

7. राज्य परिवहन निगम तथा व्यावसायिक वाहन संचालकों द्वारा सभी श्रद्धालुओं / पर्यटकों /ग्राहकों के स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

8. राज्य परिवहन निगम तथा व्यावसायिक वाहन संचालकों द्वारा अपने सभी परिवहन कर्मचारियों (ड्राइवरों, सहायकों कर्मचारियों) को कोविड–19 की रोकथाम के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

9. कोविड–19 की रोकथाम के लिए वाहनों में कोविड से बचाव हेतु आवश्यक सूचनाए पोस्टर/स्टिकर आदि के माध्यम से चस्पा की जायेंगी।

10. वाहन स्वामियों/चालक/परिचालक द्वारा यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर से किराया लिया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त दर से अधिक किराये की वसूली नहीं की जायेगी।

11. यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व और यात्रा समाप्ति के पश्चात् वाहन के प्रवेश द्वार, हैण्डल, रैलिंग तथा सीटों आदि को भली–भाँति सैनिटाईज किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. वाहनों में चालक, परिचालक व समस्त यात्रियों को फेस–मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।

13. वाहन चालक, परिचालक एवं यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को अपने स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना व उसका उपयोग करना अनिवार्य होगा।

14. यात्रा करते समय पान, तम्बाकू, गुटका, शराब आदि का सेवन प्रतिबन्धित होने के साथ ही वाहन से थूकना दण्डनीय होगा।

15. अन्तर्राज्यीय (अन्य राज्यों से उत्तराखण्ड राज्य आने वाले) यात्रा की स्थिति में सम्बन्धित वाहन चालक, परिचालक एवं यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे महाकुम्भ मेला, 2021 के वैब पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराने के उपरान्त ही यात्रा प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

16. कुम्भ मेले हेतु महाकुम्भ मेला, 2021 के वैब पोर्टल पर पंजीकरण किये बिना किसी भी यात्री को बस में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।

17. कुम्भ मेले के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी स्थान पर संगठित रूप से भजन, गायन एवं भण्डारे के आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

18. कुंभ मेले के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एस0ओ0पी0 का समस्त तीर्थयात्रियों तथा अन्य हितधारकों द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।

19. मेला प्रशासन द्वारा उपरोक्त मानक प्रचालन कार्यविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एस0ओ0पी में मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से अन्य व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।

***

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकण

महाकुंभ मेला हेतु मानक प्रचालन विधि

वाहन पार्किंग स्थान

1. मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कुंभ मेले के निर्धारित क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग के लिए कुंभ मेले के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों की निगरानी हेतु प्रबन्धन तंत्र विकसित किया गया हो जिसके उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005, महामारी रोग अधिनियम–1897 और आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

2. कुंभ मेले के लिए तीर्थ यात्रियों के आगमन को ध्यान में रखते हुए, वाहनों की पार्किंग की योजना बनाई जाएगी। अलग–अलग दिशाओं से आने वाने वाहनों हेतु अलग–अलग पार्किंग स्थल बनाये जायेंगे तथा समस्त पार्किंग स्थलों का विवरण मेला अधिकारी, आई0जी0, कुंभ मेला, एस0डी0आर0एफ0 और जिला प्रशासन के साथ साझा किया जायेगा ।

3. पार्किंग क्षेत्र में आग की रोकथाम हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। आग से बचाव हेतु पर्याप्त उपकरण व मानव संसाधन की तैनाती की जायेगी।

4. पार्किंग स्थलों व उसके समीप भोजन पकाना प्रतिबन्धित रहेगा।

5. पार्किंग स्थलों पर वाहनों, वाहन चालकों तथा तीर्थयात्रियों की कोविड–19 जाँच की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

6. यदि कोई वाहन अथवा तीर्थयात्री महाकुम्भ मेला, 2021 के वैब पोर्टल पर बिना पंजीकरण और प्रवेश–पास के आते हैं, तो उन्हें पवित्र स्नान तथा अन्य धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग नहीं करने दिया जायेगा ।

7. पार्किंग स्थलों में पुलिस बल, पी0आर0डी0 जवान, होमगार्ड्स और स्वयंसेवकों की पर्याप्त संख्या में तैनाती सुनिश्चित की जायेगी।

8. पार्किंग स्थलों में तैनात पुलिस बल, पी0आर0डी0 जवान और स्वयंसेवकों द्वारा सभी श्रद्धालुओं / पर्यटकों / यात्रियों के स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

9. प्रत्येक पार्किंग स्थल में वाहनों के अलग–अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था की सुनिश्चित की जायेगी तथा प्रत्येक प्रवेश एवं निकास द्वार बैनरों के माध्यम से इंगित किये जायेंगे।

10. पार्किंग स्थानों पर तैनात अधिकारीयों द्वारा किसी भी यात्री में कोविड–19 के लक्षण दिखाई देने की स्थिति में तत्काल प्रभावित यात्री को मेला स्वास्थ्य कार्मिकों के माध्यम से उपचार हेतु कोविड उपचार केंद्र में भेजा जायेगा ।

11. पार्किंग स्थानों पर तैनात अधिकारीयों द्वारा मेला स्वास्थ्य कार्मिकों के माध्यम से संदिग्ध कोविड रोगियों के परिवहन के लिए एम्बुलेंस की सहायता ली जाएगी।

12. पार्किंग स्थलों में विभिन्न स्थानों पर कोविड–19 की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारियां बैनर/पोस्टर आदि चस्पा की जायेगी।

13. पार्किंग स्थलों पर वाहन चालकों के लिए शौचालय, पेयजल एवं सैनीटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।

14. कुम्भ मेले के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी स्थान पर संगठित रूप से भजन, गायन एवं भण्डारे के आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

15. कुंभ मेले के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी का समस्त तीर्थयात्रियों तथा अन्य हितधारकों द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।

16. मेला प्रशासन द्वारा उपरोक्त मानक प्रचालन कार्यविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एस0ओ0पी में मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से अन्य व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।

***

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकण

महाकुंभ मेला हेतु मानक प्रचालन विधि

स्नान घाट/घाट

1. मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कुंभ मेले के दौरान पवित्र स्नान हेतु स्नान घाट / घाटों पर निम्नलिखित गतिविधियों की निगरानी हेतु प्रबन्धन तंत्र विकसित किया गया हो जिसके उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005, महामारी रोग अधिनियम–1897 और आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

2. पवित्र स्नान के दौरान विभिन्न स्नान घाट / घाटों पर सुरक्षा और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, प्रशिक्षित स्वयंसेवकों, कर्मचारियों, गोताखोरों एवं तैराकों की तैनाती की जानी सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही विभिन्न स्नान घाट / घाटों पर सामाजिक दूरी इंगित करने हेतु भूमि पर गोले (सर्कल) के निशान बनाये जायेंगे ।

3. प्रयोग किये हुए मास्क, दस्ताने आदि के निस्तारण हेतु विभिन्न स्नान घाट / घाटों पर डस्टबिन रखे जाएंगे। विभिन्न स्नान घाट / घाटों पर तैनात पुलिस बल, अधिकारी/ कर्मचारी और स्वयंसेवक यह सुनिश्चित करेंगे कि तीर्थयात्री इन डस्टबिन का प्रयोग करें ।

4. बायोमेडिकल अपशिष्ट निस्तारण के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

5. पवित्र स्नान (अधिकतम 20 मिनट के भीतर) के तुरंत बाद तीर्थयात्रियों की निकासी के लिए पर्याप्त मानव संसाधन की तैनाती की जाएगी ताकि तीर्थयात्रियों का अगला जत्था पवित्र स्नान का लाभ उठा सके।

6. पुलिस, एस0डी0आर0एफ0 और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा स्नान घाट / घाट क्षेत्र में उपयुक्त संचार तंत्र स्थापित किया जाएगा जिसके माध्यम से घाट क्षेत्र में तैनात गोताखोरों और तैराकों के मध्य समन्वय स्थापित किया जा सके।

7. स्नान घाट /घाट क्षेत्र में तैनात सभी कर्मी यथा संभव पी0पी0ई0 किट से लैस होंगे और सभी सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे।

8. 65 वर्ष से ऊपर की आयु वाले, गर्भवती महिलायें, 10 वर्ष से छोटे बच्चों को पवित्र स्नान तथा स्नान घाट क्षेत्र में प्रवेश हेतु यथासम्भव हतोत्साहित किया जायेगा।

9. स्नान घाट /घाटों के विभिन्न स्थानों पर कोविड–19 की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारियां चस्पा की जायेंगी।

10. कुम्भ मेले के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी स्थान पर संगठित रूप से भजन, गायन एवं भण्डारे के आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

11. कुंभ मेले के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एस0ओ0पी0 का समस्त तीर्थयात्रियों तथा अन्य हितधारकों द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।

12. मेला प्रशासन द्वारा उपरोक्त मानक प्रचालन कार्यविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एस0ओ0पी में मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से अन्य व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।

***

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकण

महाकुंभ मेला हेतु मानक प्रचालन विधि

हॉल्टिंग पॉइंट्स

1. मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कुंभ मेले के दौरान हाल्टिंग पॉइंट्स पर निम्नलिखित गतिविधियों की निगरानी हेतु प्रबन्धन तंत्र विकसित किया गया हो जिसके उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005, महामारी रोग अधिनियम–1897 और आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ।

2. मेला प्रशासन द्वारा नामित विभिन्न हॉल्टिंग पॉइंट पर सुरक्षा और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित स्वयंसेवकों और कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा।

3. प्रयोग किये हुए मास्क, दस्ताने तथा अन्य कूड़े के लिए डस्टबिन को हॉल्टिंग पॉइंट्स के विभिन्न स्थानों पर रखा जाएगा। हॉल्टिंग पॉइंट्स पर तैनात पुलिस बल, अधिकारी, कर्मचारी और स्वयंसेवक यह सुनिश्चित करेंगे कि तीर्थयात्री इन डस्टबिन में प्रयोग किये हुए मास्क तथा अन्य कूड़ा डालें ।

4. बायोमेडिकल अपशिष्ट निस्तारण के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

5. हॉल्टिंग पॉइंट पर आग की रोकथाम हेतु मानव संसाधन एवं अग्निशमन उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

6. हॉल्टिंग पॉइंट पर भोजन और अन्य खाद्य पदार्थों को पकाया जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।

7. हॉल्टिंग पॉइंट पर बिजली आपूर्ति की उचित व्यवस्था की जाएगी।

8. हॉल्टिंग पॉइंट्स पर अलग–अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था की जायेगी तथा प्रवेश व निकास द्वार को बड़े बड़े बैनरों के माध्यम से इंगित किया जायेगा।

9. हॉल्टिंग पॉइंट्स पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस तथा सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी।

10. पुलिस, एस0डी0आर0एफ0 और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा हॉल्टिंग पॉइंट्स पर उपयुक्त संचार तंत्र स्थापित किया जाएगा और तथा हॉल्टिंग पॉइंट्स पर तैनात कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित किया जायेगा।

11. हॉल्टिंग पॉइंट्स में तैनात सभी कर्मी यथा संभव पी0पी0ई0 किट से लैस होंगे और सभी सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे।

12. हॉल्टिंग पॉइंट्स में तैनात पुलिस बल, पी0आर0डी0 जवान और स्वयंसेवकों द्वारा सभी श्रद्धालुओं / पर्यटकों / यात्रियों के स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

13. 65 वर्ष से ऊपर की आयु वाले, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यथासम्भव रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनकी निकासी के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

14. हॉल्टिंग पॉइंट्स में विभिन्न स्थानों पर कोविड–19 की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारियां चस्पा की जायेंगी ।

15. बिना पंजीकरण व प्रवेश पास वाले तीर्थयात्रियों को स्नान और अन्य धार्मिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।

16. हॉल्टिंग पॉइंट्स पर तैनात अधिकारियों द्वारा किसी भी यात्री में कोविड–19 के लक्षण दिखाई देने की स्थिति में मेला स्वास्थ्य कार्मिकों की सहायता से तत्काल प्रभावित यात्री को उपचार हेतु कोविड उपचार केंद्र में भेजा जायेगा ।

17. हॉल्टिंग पॉइंट्स पर तैनात अधिकारियों द्वारा संदिग्ध कोविड रोगियों के परिवहन के लिए मेला स्वास्थ्य कार्मिकों की सहायता से एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी।

18. हॉल्टिंग पॉइंट्स पर शौचालय, पेयजल एवं सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएँगी।

19. कुम्भ मेले के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी स्थान पर संगठित रूप से भजन, गायन एवं भण्डारे के आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

20. कुंभ मेले के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एस0ओ0पी0 का समस्त तीर्थयात्रियों तथा अन्य हितधारकों द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।

21. मेला प्रशासन द्वारा उपरोक्त मानक प्रचालन कार्यविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एस0ओ0पी में मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से अन्य व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।

***

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकण

महाकुंभ मेला हेतु मानक प्रचालन विधि

रेलवे स्टेशन

1. मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन एवं रेलवे प्रशासन, हरिद्वार एंव ऋषिकेश तथा अन्य रेलवे स्टेशनों से समन्वय स्थापित करते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कुंभ मेले के दौरान रेलवे स्टेशन पर निम्नलिखित गतिविधियों की निगरानी हेतु प्रबन्धन तंत्र विकसित किया गया हो जिसके उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005, महामारी रोग अधिनियम–1897 और आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ।

2. तीर्थयात्रियों के आगमन और प्रस्थान के प्रबंधन के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन के प्रमुख के साथ लगातार समन्वय बनाये रखा जायेगा ।

3. रेलवे स्टेशन पर (i) रेलवे टिकट के साथ ही कुंभ मेला हेतु प्रवेश के लिए (ii) पंजीकरण–पत्र एवं (iii) कोविड–19 की आर0टी0पी0सी0आर0 जाँच नेगेटिव दिखाने के पश्चात ही यात्रियों/श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन से बाहर जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

4. रेलवे स्टेशन के प्रवेश एवं निकास द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं सैनेटाईजर की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी और सभी के द्वारा उसका अक्षरशः अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

5. रेलवे स्टेशन के परिसर के विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में हैण्ड सैनेटाईजर उपलब्ध करवाया जायेंगे तथा समय–समय पर रेलवे स्टेशन परिसर को सैनेटाइज किया जायेगा।

6. रेलवे स्टेशन पर तैनात पुलिस बल, पी0आर0डी0 जवान और स्वयंसेवकों द्वारा सभी श्रद्धालुओं/पर्यटकों/यात्रियों के स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

7. हरिद्वार और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के समीप तीर्थ यात्रियों के हाल्टिंग हेतु उचित स्थान का चिन्हीकरण रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये किया जायेगा ताकि तीर्थ यात्रियों का आवागमन सुगम हो और भगदढ़ की स्थिति उत्पन्न न हो सके।

8. सुरक्षा और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने, प्रवेश परमिट की जांच, अमिट स्याही से हथेली के ऊपरी भाग में कोविड निगेटिव मुहर लगाने, कानून और व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ प्रबंधन, संवेदनशील यात्रियों को रोकने जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए स्टेशन मास्टर के नियंत्रण में पर्याप्त चिकित्सा सेवाएं, पी0आर0डी0, पुलिस कर्मी, स्वयंसेवकों को तैनात किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. प्रयोग किये हुए मास्क तथा अन्य कूड़े के लिए रेलवे स्टेशन के विभिन्न हाल्टिंग पॉइंट पर डस्टबिन रखे जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर तैनात पुलिस बल, अधिकारी, कर्मचारी और स्वयंसेवक यह सुनिश्चित करेंगे कि तीर्थयात्री इन डस्टबिन में अपना मास्क तथा अन्य कूड़ा डालें।

10. बायोमेडिकल अपशिष्ट निस्तारण के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जानी सुनिश्चित की जायेगी।

11. रेलवे स्टेशन पर बोर्डिंग और डी–बोर्डिंग के लिए अलग व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

12. रेलवे स्टेशन के हाल्टिंग प्वाइंट पर भोजन व अन्य खाद्य पदार्थों को पकाया जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

13. रेलवे स्टेशन के हॉल्टिंग पॉइंट पर आग की रोकथाम हेतु मानव संसाधन एवं अग्निशमन उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

14. रेलवे स्टेशन के हॉल्टिंग पॉइंट पर बिजली की आपूर्ति व शार्ट सर्किट सम्बन्धित घटनाओं पर नियंत्रण पाने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

15. पुलिस, एस0डी0आर0एफ0 और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा हाल्टिंग पॉइंट्स पर उपयुक्त संचार तंत्र स्थापित किया जाएगा तथा इससे रेलवे स्टेशन के हॉल्टिंग पॉइंट्स पर तैनात कर्मियों को जोड़ा जाएगा।

16. हॉल्टिंग पॉइंट्स में तैनात सभी कार्मिक यथासंभव पी0पी0ई0 किट से लैस होंगे और सभी सुरक्षा उपायों का अनुपालन करेंगे।

17. हॉल्टिंग पॉइंट्स में विभिन्न स्थानों पर कोविड–19 की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारियां चस्पा की जायेंगी ।

18. रेलवे स्टेशन पर तैनात अधिकारियों द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान किसी भी यात्री में कोविड–19 के लक्षण दिखाई देने की स्थिति में तत्काल प्रभावित यात्री

को उपचार हेतु मेला स्वास्थ्य कार्मिकों के माध्यम से कोविड उपचार केंद्र में भेजा जायेगा।

19. यदि थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान किसी भी व्यक्ति में कोविड–19 के लक्षण पाये जाते हैं तो उसको तत्काल आईसोलेट करते हुए, दूरभाष के माध्यम से मेला प्रशासन तथा कोविड कंट्रोल रूम को सूचित किया जायेगा।

20. रेलवे स्टेशन पर तैनात अधिकारियों द्वारा संदिग्ध कोविड रोगियों के परिवहन के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था मेला स्वास्थ्य कार्मिकों के माध्यम से की जाएगी।

21. कुम्भ मेले के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी स्थान पर संगठित रूप से भजन, गायन एवं भण्डारे के आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

22. कुंभ मेले के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एस0ओ0पी0 का समस्त तीर्थयात्रियों तथा अन्य हितधारकों द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।

23. मेला प्रशासन द्वारा रेलवे प्रशासन, हरिद्वार एवं ऋषिकेश से समन्वय स्थापित करते हुये उपरोक्त मानक प्रचालन कार्यविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एस0ओ0पी में मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन एवं रेलवे प्रशासन के माध्यम से अन्य व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।

***

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकण

महाकुंभ मेला हेतु मानक प्रचालन विधि

बस स्टैंड/स्टेशन/डिपो

1. मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कुंभ मेले के दौरान बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन पर निम्नलिखित गतिविधियों की निगरानी हेतु प्रबन्धन तंत्र विकसित किया गया हो जिसके उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005, महामारी रोग अधिनियम–1897 और आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ।

2. तीर्थयात्रियों के आगमन और प्रस्थान के प्रबंधन के लिए सभी बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन के प्रमुख के साथ लगातार समन्वय बनाये रखा जायेगा ।

3. बस स्टैंड/स्टेशन/डिपो पर कुंभ मेला हेतु प्रवेश के लिए (i) पंजीकरण–पत्र एवं (ii) आर0टी0पी0सी0आर0 की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के पश्चात ही यात्रियों/श्रद्धालुओं को बस में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।

4. बस स्टैंड/स्टेशन/डिपो के परिसर के विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में हैण्ड सैनेटाईजर उपलब्ध करवाया जायेंगे तथा समय–समय पर बस स्टैंड/स्टेशन/डिपो परिसर को सैनेटाइज किया जायेगा।

5. बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन के समीप तीर्थ यात्रियों के हाल्टिंग हेतु उचित स्थान का चिन्हीकरण बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये किया जायेगा ताकि तीर्थ यात्रियों का आवागमन सुगम हो और भगदढ़ की स्थिति उत्पन्न न हो सके।

6. सुरक्षा और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने, प्रवेश परमिट की जांच, अमिट स्याही से हथेली के ऊपरी भाग में कोविड निगेटिव मुहर लगाने, कानून और व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ प्रबंधन, संवेदनशील यात्रियों को रोकने जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन अधिकारियों के नियंत्रण में चिकित्सा सेवाएं, पुलिस कर्मी, स्वयंसेवकों की तैनाती की जानी सुनिश्चित की जायेगी।

7. बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन पर तैनात पुलिस बल और स्वयंसेवकों द्वारा सभी श्रद्धालुओं / पर्यटकों / यात्रियों के स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

8. प्रयोग किये हुए मास्क तथा अन्य कूड़े के लिए बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन के विभिन्न हाल्टिंग पॉइंट पर डस्टबिन रखे जाएंगे। बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन पर पर तैनात अधिकारी और स्वयंसेवक यह सुनिश्चित करेंगे कि तीर्थयात्री इन डस्टबिन में अपना प्रयोग किया हुआ मास्क तथा अन्य कूड़ा डालें।

9. बायोमेडिकल अपशिष्ट निस्तारण के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जानी सुनिश्चित की जायेगी।

10. बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन पर बोर्डिंग और डी–बोर्डिंग के लिए अलग व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

11. बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन के हाल्टिंग प्वाइंट पर भोजन व अन्य खाद्य पदार्थों को पकाया जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

12. बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन के हॉल्टिंग पॉइंट पर आग की रोकथाम हेतु मानव संसाधन एवं अग्निशमन उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

13. बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन के हॉल्टिंग पॉइंट पर बिजली की आपूर्ति व शार्ट सर्किट सम्बन्धित घटनाओं पर नियंत्रण पाने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

14. पुलिस, एस0डी0आर0एफ0 और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा हाल्टिंग पॉइंट्स पर उपयुक्त संचार तंत्र स्थापित किया जाएगा तथा इससे बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन के हॉल्टिंग पॉइंट्स पर तैनात कर्मियों को जोड़ा जाएगा।

15. हॉल्टिंग पॉइंट्स में तैनात सभी कार्मिक यथा संभव पी0पी0ई0 किट से लैस होंगे और सभी सुरक्षा उपायों का अनुपालन करेंगे।

16. हॉल्टिंग पॉइंट्स में विभिन्न स्थानों पर कोविड–19 की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारियां चस्पा की जायेंगी ।

17. बस स्टैंड/स्टेशन/डिपो पर तैनात अधिकारियों द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान किसी भी यात्री में कोविड–19 के लक्षण दिखाई देने की स्थिति में तत्काल प्रभावित यात्री को उपचार हेतु मेला स्वास्थ्य कार्मिकों के माध्यम से कोविड उपचार केंद्र में भेजा जायेगा।

18. बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन पर तैनात अधिकारियों द्वारा संदिग्ध कोविड रोगियों के परिवहन के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था मेला स्वास्थ्य कार्मिकों के माध्यम से की जाएगी।

19. कुम्भ मेले के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी स्थान पर संगठित रूप से भजन, गायन एवं भण्डारे के आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

20. कुंभ मेले के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एस0ओ0पी0 का समस्त तीर्थयात्रियों तथा अन्य हितधारकों द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।

21. मेला प्रशासन द्वारा बस स्टैंड / डिपो/ स्टेशन प्रबंधकों से समन्वय स्थापित करते हुये उपरोक्त मानक प्रचालन कार्यविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एस0ओ0पी में मेला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन एवं रेलवे प्रशासन के माध्यम से अन्य व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।

***